

फर्द अहकाम

जयराज

बनाम त.द.सी.लयाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या 21/2023 870 43

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

क. संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

15.01.20

वकूलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पश्चात्तली दिनांक 02.02.2026 को पेश हो

B

06.02.26

पश्चात्तली प्रमाण प्रामाणिकी की नोट के बड़े उपस्थित नहीं। जापसालप प्रमाण के अंतराल बाद- बाद कावाज लगाने के बाद भी प्रामाणिकी की नोट से बड़े उपस्थित नहीं करने के कारण प्रामाणिकी का प्रमाण पर बाबर पत्रकारी अफस हाजरी एवं अफस फेंकी में रकारिज किया जाता है। पश्चात्तली फंसल शुमार होकर फर्ज नाम्यद के कम है बाद साखिल प्रार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)